प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सी0एम0डी0,
मेसर्स पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्रा0लि0,
धानीपुर, अलीगढ़।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 18 जून, 2018

विषय: मेसर्स पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्रा0लि0 को जनपद अलीगढ़ स्थित धानीपुर हवाई पट्टी पर वायुयान उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रदत्त अनुमति/अनुबन्ध पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2007 को निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व की हवाई पट्टियों को निजी संस्थाओं को उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रमों/वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोग की अनुमति शासनादेश संख्या-747/छप्पन-2007-11/2007 दिनांक 27 जुलाई, 2007 एवं उसके साथ पठित अभिरूचि के अभिलेख में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शासनादेश संख्या-1158/छप्पन-2007-11/07 दिनांक 10 सितम्बर, 2007 द्वारा मेसर्स पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्रा0लि0 को उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए धानीपुर (अलीगढ़) हवाई पट्टी का उपयोग किए जाने की स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुरूप पायनियर फ्लाइंग एकेडमी, अलीगढ़ एवं राज्य सरकार के मध्य निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 18.09.2007 द्वारा पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्रा0लि0 को जनपद अलीगढ़ स्थित धानीपुर हवाई पट्टी पर वायुयान उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रमों सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन की अनुमति अनुबन्ध पत्र में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई।

2- अनधिकृत संस्था स्काईहाई इण्डिया के सहयोग से पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्रा0लि0 द्वारा धानीपुर हवाई पट्टी पर स्काई डाइविंग स्पोर्ट्स गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है तथा हवाई पट्टी पर एक कन्टेनर अनधिकृत रूप से स्थापित किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

3- इस प्रकार निजी संस्था अनुबन्ध-पत्र की शर्त संख्या-13 एवं शर्त संख्या-17 के उल्लंघन की दोषी है। अनुबन्ध की शर्त संख्या-29 में पक्ष के रूप में राज्य सरकार को यह निर्देश हैं कि "ऊपरवर्णित (अनुबन्ध में वर्णित) शर्तों में से किसी एक का अथवा अधिक का उल्लंघन यदि निजी संस्था द्वारा किया जाएगा या उसका पालन नहीं किया जाएगा, तो इस अनुबन्ध को राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में प्रतिकर पाने के लिए निजी संस्था के अधिकार अपहृत हो जाएंगे।"

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व की हवाई पट्टियों को निजी संस्थाओं को उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रमों /वायुयान अनुरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोग की अनुमति विषयक शासनादेश संख्या-747/छप्पन-2007-11/2007 दिनांक 27 जुलाई, 2007 एवं उसके साथ पठित अभिरूचि के अभिलेख में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत शासनादेश संख्या-1158/छप्पन-2007-11/07 दिनांक 10 सितम्बर, 2007 के क्रम में किए गए अनुबन्ध पत्र दिनांक 18.09.2007 में अनुबन्धित दोनों पक्षों के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्था पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्रा0लि0 द्वारा अनुबन्ध-पत्र दिनांक 18.09.2007 में उल्लिखित शर्त संख्या-13 एवं शर्त संख्या-17 का उल्लंघन करते हुए राजकीय हवाई पट्टी धानीपुर, अलीगढ़ में बिना राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग की अनुमति के स्काई डाइविंग स्पोर्ट्स एक्टीविटीज का संचालन किया गया तथा प्रश्नगत हवाई पट्टी पर निर्माण कार्य कराया गया। अत: अनुबन्ध की शर्त संख्या-29 के अनुसार मेसर्स पायनियर फ्लाइंग एकेडमी प्रा0लि0 को जनपद अलीगढ़ स्थित धानीपुर हवाई पट्टी पर वायुयान उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रदत्त अनुमति समाप्त करते हुए अनुबन्ध पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2007 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया तद् नुसार 03 दिनों के भीतर जनपद अलीगढ़ स्थित धानीपुर हवाई पट्टी परिसर खाली किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पृ0सं0: 60/2018/73भा0स0(1)/छप्पन-2018-तद् दिनांक

प्रतिलिपि :

1- जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रश्नगत संस्था से 03 दिनों के भीतर जनपद अलीगढ़ स्थित धानीपुर हवाई पट्टी परिसर को खाली कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि प्रश्नगत हवाई पट्टी एवं उससे सम्बन्धित इन्वेन्टरी तथा अन्य अभिलेख/दस्तावेज उचित स्थिति में प्राप्त कर लिए जाएं ।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in